प्रारंभिक परीक्षा

भारत ने ब्रिक्स बैंक में 2 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है

संदर्भ

वित्त मंत्रालय के अनुसार **भारत ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) में लगभग 2 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है।**

ब्रिक्स बैंक/न्यू डेवलपमेंट बैंक(NDB) के बारे में -

- **स्थापना: NDB को आधिकारिक तौर पर 2014 में फोर्टालेजा, ब्राजील में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। (मुख्यालय- शंघाई, चीन)**
- **संस्थापक सदस्य:** ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका।
- **नये सदस्य:** बांग्लादेश, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात।
    - इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए खुली है।
- **पूंजी**: बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 बिलियन डॉलर और प्रारंभिक सदस्यता पूंजी 50 बिलियन डॉलर है।
- **शासन संरचना:**
    - NDB की देखरेख ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों से बने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाती है।
    - बैंक का अध्यक्ष सदस्य देशों में से चुना जाता है तथा शेष सदस्यों का प्रतिनिधित्व चार उपाध्यक्ष करते हैं।
    - जबकि नए सदस्य NDB में शामिल हो सकते हैं, पांचों ब्रिक्स देश कुल शेयरों का न्यूनतम 55% हिस्सा अपने पास रखेंगे।
- **उद्देश्य:**
    - ब्रिक्स देशों और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सतत विकास को बढ़ावा देना।
    - बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन प्रदान करना, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
    - विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं पर निर्भरता कम करना।
    - अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - ब्रिक्स बैंक

मध्य प्रदेश को मिला 8वां टाइगर रिजर्व - रातापानी

संदर्भ

मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है।

रातापानी टाइगर रिजर्व (TR) के बारे में -

- **स्थान:** यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। (रायसेन और सीहोर जिले)
- **नदियाँ:** यह नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे के समानांतर स्थित है, तथा **कोलार नदी** इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है।
- **इस अभयारण्य में भीमबेटका शैलाश्रय हैं, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है तथा प्राचीन शैलचित्रों के लिए जाना जाता है।**
- **जैव विविधता:**
    - **जीव-जंतु:** बाघ, तेंदुए, भालू, लकड़बग्घा, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण आदि।
        - **यहां अनुमानित बाघों(tigers) की संख्या 90 है।**
    - **वनस्पति:** शुष्क और नम पर्णपाती वन। लगभग **55%** क्षेत्र **सागौन से ढका हुआ है।**

तथ्य

- **भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य: 57**
    - **54वां:** वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश)
    - **55वां:** धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व (राजस्थान)
    - **56वां:** गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व
- **भारत में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में हैं: 8**
- इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं : 11
- **2023 तक, भारत में 3,682 जंगली बाघ थे, जो विश्व की जंगली बाघ आबादी का लगभग 75% है**

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - रातापानी टी.आर.

अढ़ाई दिन का झोपड़ा

संदर्भ

अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका की स्वीकृति ने भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा के समान सर्वेक्षण की मांग को फिर से जन्म दिया है।

अढ़ाई दिन का झोपड़ा के बारे में -

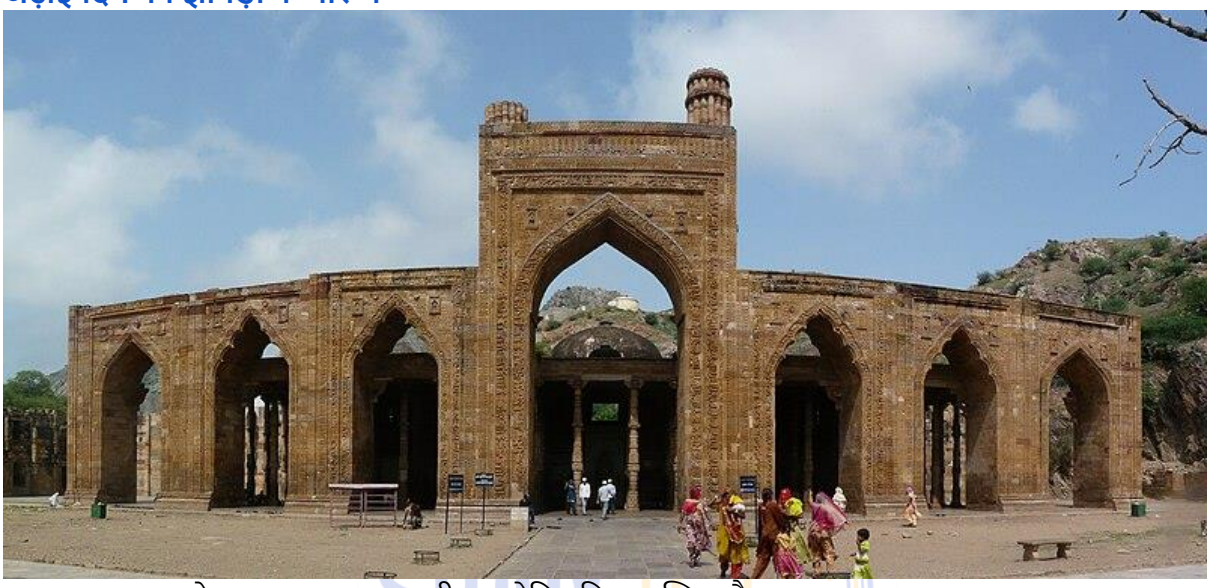

- यह अजमेर (राजस्थान) शहर की एक ऐतिहासिक मस्जिद है।
- यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और अजमेर में सबसे पुराना जीवित स्मारक है।
- **इसका निर्माण तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद 1192 ई. में कुतुब-उद-दीन-ऐबक ने करवाया था। इसका वास्तुकार हेरात का अबू बक्र था।**
- **यह संरचना 1199 ई. में पूरी हुई और 1213 ई. में इल्तुतमिश द्वारा इसका और अधिक विस्तार किया गया।**
    - **सात मेहराबों वाला मुखौटा (स्क्रीन दीवार)** इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था।
- इमारत का अधिकांश भाग अफगान प्रबंधकों की देखरेख में हिंदू राजमिस्त्रियों द्वारा बनाया गया था।
- **यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित स्मारक है।**

विवादित उत्पत्ति

- **जैन प्रभाव**:
    - इतिहासकार **हर बिलास सारदा ने** जैन परंपरा का हवाला देते हुए बताया है कि जैन त्योहार पंच कल्याण महोत्सव के लिए **सेठ वीरमदेव काला ने 660 ई. में एक मंदिर का निर्माण कराया था।**
    - ब्रिटिश अधिकारी **जेम्स टॉड** (1819) ने इसे जैन मंदिर के रूप में पहचाना और इसे "हिंदू वास्तुकला के सबसे उत्तम प्राचीन स्मारकों में से एक" बताया।
- **वास्तुकला संबंधी अंतर्दृष्टि:**
    - **अलेक्जेंडर कनिंघम** (एएसआई, 1874) ने उल्लेख किया कि मस्जिद का निर्माण कई हिंदू मंदिरों की सामग्रियों का उपयोग करके किया गया था।
    - कनिंघम ने काली की मूर्तियां और शिलालेख भी खोजे जो जैन परंपराओं से असंगत थे।
- **संस्कृत महाविद्यालय**:

- **वीसलदेव द्वारा निर्मित एक संस्कृत महाविद्यालय की ओर संकेत करने वाले शिलालेख प्राप्त हुए।**
- इसी प्रकार की संरचनाएं, जैसे **धार में राजा भोज की पाठशाला,** इस विचार का समर्थन करती हैं कि मस्जिद बनने से पहले इसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था।

स्रोत:

- **इंडियन एक्सप्रेस - अढ़ाई दिन का झोंपड़ा**
- **इंडियन एक्सप्रेस**

ICJ ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन मामले पर सुनवाई शुरू की

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जलवायु परिवर्तन दायित्वों पर एक ऐतिहासिक मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसकी शुरुआत वानुअतु द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली की रक्षा करने में देशों की कानूनी जिम्मेदारियों और नुकसान पहुंचाने वालों के लिए परिणामों का निर्धारण करना है।

मामले में शामिल अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे -

- पेरिस समझौता और यूएनएफसीसीसी
- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- जैव विविधता पर कन्वेंशन
- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन
- मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणापत्र
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में -

- **ICJ संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्राथमिक न्यायिक निकाय है।**
- इसकी **स्थापना 1945 में** हुई थी और यह **नीदरलैंड के हेग में स्थित** है।
    - **यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रमुख अंग है जो न्यूयॉर्क में नहीं है।**
- **उद्देश्य:** देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना तथा अधिकृत संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और विशेष संगठनों को कानूनी सलाह प्रदान करना।
- **न्यायाधीश: इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो नौ वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं।**
    - संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं, और दोनों निकाय अलग-अलग लेकिन एक साथ मतदान करते हैं।
    - निर्वाचित होने के लिए, किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होगा।
- **आधिकारिक भाषाएँ:** ICJ की आधिकारिक भाषाएँ **अंग्रेजी** और **फ्रेंच** हैं।
- **सलाहकार राय: ICJ की सलाहकार राय बाध्यकारी नहीं होती,** लेकिन वे न्यायालय की प्रतिष्ठा और अधिकार से जुड़ी होती हैं। अनुरोध करने वाला संगठन राय पर कार्रवाई करना या न करना चुन सकता है।
- **ICJ की सुनवाई हमेशा सार्वजनिक होती है।**

ICC और ICJ के बीच अंतर

पैरामीटर	ICC(अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय)	ICJ(अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय)
स्थापना एवं मुख्यालय	2002, हेग (नीदरलैंड)	1946, हेग (नीदरलैंड)
संयुक्त राष्ट्र संबंध	स्वतंत्र - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मामले के लिए रेफरल प्राप्त हो सकता है	**संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक न्यायालय, जिसे विश्व न्यायालय के नाम से जाना जाता है**
केस के प्रकार	व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाना	पार्टियों के बीच विवाद, और सलाहकार राय

विषय – वस्तु	**नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध**	**समुद्री विवाद, संप्रभुता, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार, संधि उल्लंघन और संधि व्याख्या, मानवाधिकार आदि।**
अनुदान	रोम संविधि के पक्षकारों से प्राप्त अंशदान, संयुक्त राष्ट्र, सरकारों, निगमों, संगठनों आदि से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान।	संयुक्त राष्ट्र

स्रोत:

- **इंडियन एक्सप्रेस - ICJ ने ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन मामले पर सुनवाई शुरू की**

प्रूधों का पारस्परिकता का सिद्धांत(Proudhon's theory of Mutualism)

संदर्भ

अराजकतावादी और समाजवादी विचारों में पारस्परिकता एक मूलभूत अवधारणा बनी हुई है, जो आर्थिक प्रणालियों में निष्पक्षता, समानता और सहयोग के बारे में प्रेरक बहस करती है।

पारस्परिकता के बारे में -

- **"पारस्परिकतावाद(Mutualism)" शब्द को 19वीं सदी के मध्य में फ्रांसीसी दार्शनिक पियरे-जोसेफ प्रूधों ने पूंजीवाद और अधिनायकवाद की अपनी व्यापक आलोचना के हिस्से के रूप में गढ़ा था।**
- पारस्परिकता एक सामाजिक-आर्थिक सिद्धांत है जो एक सहकारी और निष्पक्ष समाज की कल्पना करता है। यह इस पर आधारित है:
    - **स्वैच्छिक सहयोग और पारस्परिकता**: लोग और समुदाय बिना किसी दबाव के एक साथ काम करते हैं।
    - **निष्पक्ष विनिमय**: वस्तुओं और सेवाओं का समान रूप से बंटवारा किया जाता है, जिससे शोषण से बचा जा सके।
    - **सहकारी स्वामित्व**: भूमि और औजार जैसे संसाधनों का प्रबंधन सभी के लाभ के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है।
    - **कोई केंद्रीय सत्ता नहीं**: यह पूंजीवादी शोषण और राज्य नियंत्रण दोनों का विरोध करता है तथा स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देता है।
- **संपत्ति पर पारस्परिकता का दृष्टिकोण:**
    - **संपत्ति को 2 प्रकारों में विभेदित किया गया है:**
        - **संपत्ति:** स्वामित्व जो दूसरों को नियंत्रित या शोषण करता है (बुरा)।
        - **अधिकार:** दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आवश्यकताओं के लिए संसाधनों का उपयोग करना (अच्छा)।
    - **प्रमुख विचार:**
        - स्वामित्व उपयोग पर आधारित होना चाहिए, संचय या लाभ पर नहीं।
        - पारस्परिकता राज्य द्वारा आरोपित संपत्ति अधिकारों को अस्वीकार करती है जो असमानता को कायम रखते हैं।
        - निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक सहकारी समितियों और साझा संसाधनों जैसी प्रणालियों का समर्थन करता है।
- **वास्तविक दुनिया के उदाहरण -** पारंपरिक अफ्रीकी समुदाय:
    - साझा भूमि स्वामित्व और सामूहिक श्रम आम बात थी।
    - उत्पादन का उद्देश्य सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करना था, न कि लाभ कमाना।

पारस्परिकता की आलोचना

- **लघु-स्तरीय स्वामित्व की चुनौतियाँ:**
    - आलोचकों का तर्क है कि छोटे पैमाने पर संपत्ति का स्वामित्व पूंजीवाद की संरचनात्मक असमानताओं को पूरी तरह से चुनौती नहीं देता है (धन और शक्ति एकाग्रता को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हो सकता है)।
- **अति आदर्शवादी:**
    - बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना कठिन है।
- **मार्क्सवादी आलोचना:**

- मार्क्सवादियों का तर्क है कि पारस्परिकतावाद पूंजीवाद की मूल समस्याओं, जैसे शोषण और असमानता, का पूरी तरह से समाधान नहीं करता है।
- उनका मानना है कि यह बड़ी कम्पनियों और छोटे उत्पादकों के बीच सत्ता संघर्ष को कम करके आँकता है।

स्रोत:

- **द हिंदू - प्रूधों का पारस्परिकता का सिद्धांत: पूंजीवाद और अधिनायकवाद की आलोचना**

प्रति मतदान केन्द्र मतदाताओं की संख्या में वृद्धि

संदर्भ

प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 1,200 और शहरी क्षेत्रों में 1,400 से बढ़ाकर 1,500 करने के चुनाव आयोग (ईसी) के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी।

महत्वपूर्ण मुद्दे

- **हाशिए पर पड़े मतदाताओं का मताधिकार से वंचित होना**: मतदान केंद्रों पर बढ़ती भीड़ के कारण वंचित समूह और दैनिक मजदूर लंबी कतारों और प्रतीक्षा समय के कारण मतदान करने से कतराते हैं।
- **कानूनी अधिदेशों का उल्लंघन: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के अनुसार, चुनाव आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए "पर्याप्त संख्या में मतदान केंद्रों" को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।
- **अद्यतन जनगणना आंकड़ों का अभाव**: याचिका में कहा गया है कि 1,500 मतदाताओं की संख्या बढ़ाने में सांख्यिकीय समर्थन का अभाव है, क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी।
- **लागत-प्रभावशीलता बनाम सुगम्यता:** चुनाव आयोग के निर्णय को लागत में कटौती का उपाय माना गया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह प्रतिकूल है, क्योंकि इससे मतदाताओं के कुछ वर्गों के बहिष्कृत होने का खतरा है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां

- सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि 'किसी भी मतदाता को वोट देने से मना नहीं किया जाना चाहिए।' उन्होंने सवाल उठाया कि **सीमा को एक समान रूप से बढ़ाकर 1,500 मतदाता प्रति मतदान केंद्र क्यों कर दिया गया।**
- **सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को एक हलफनामा दायर कर अपनी स्थिति और निर्णय के पीछे के औचित्य को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।**

स्रोत:

- द हिंदू - मतदाता सीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, किसी भी मतदाता को नकारा नहीं जाना चाहिए

सरकार ने घरेलू कच्चे तेल और ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स समाप्त किया

संदर्भ

केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और जेट ईंधन (ATF), डीजल और पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है। साथ ही पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर भी हटा लिया है।

विंडफॉल टैक्स के बारे में -

- **इसका तात्पर्य सरकार द्वारा विशिष्ट उद्योगों पर लगाए गए उच्च कर से है, जब उद्योग को अप्रत्याशित और औसत से अधिक लाभ प्राप्त होता है।**
- ऐसा विभिन्न वैश्विक और भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण हो सकता है जो उद्योग के नियंत्रण से बाहर हैं।
- **विंडफॉल का** मतलब मुनाफे में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि से है। दूसरी ओर, **टैक्स** का मतलब है इस अचानक आय वृद्धि पर लगाया गया कर।
- भारत में इसे कच्चे तेल के उत्पादन और डीजल, पेट्रोल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (**SAED**) के रूप में लगाया जाता है।

तथ्य

- **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।**
- **शीर्ष कच्चे तेल आयात गंतव्य:** रूस > इराक > सऊदी अरब > यूएई

UPSC PYQ

प्रश्न: 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट' शब्द, जो कभी-कभी समाचारों में आता है, किस ग्रेड को संदर्भित करता है: (2020)

(a) कच्चा तेल
(b) बुलियन
(c) दुर्लभ मृदा तत्व
(d) यूरेनियम

उत्तर:(**a**)

स्रोत:

- द हिंदू - सरकार ने घरेलू कच्चे तेल और ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स समाप्त किया
- इंडियन एक्सप्रेस - अप्रत्याशित लाभ कर समाप्त

प्रगति प्लेटफार्म(PRAGATI Platform)

संदर्भ

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सैद बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश भर में 205 बिलियन डॉलर की 340 परियोजनाओं में तेजी लाने और आर्थिक परिवर्तन लाने के **लिए प्रगति अवसंरचना निगरानी प्रणाली(PRAGATI infrastructure monitoring system)** की सराहना की गई है।

प्रगति (PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation) के बारे में -

- **यह एक बहुउद्देश्यीय और बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था।**
- इसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना और साथ ही सरकार (केन्द्र और राज्य दोनों) के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है।
- प्रगति प्लेटफॉर्म तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों को एक साथ जोड़ता है: डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।

प्रमुख विशेषताऐं

- यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है **(पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव)**
- प्रत्येक माह के चौथे बुधवार (प्रगति दिवस) को प्रधानमंत्री की अगुवाई में मासिक वीडियो-कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जिसमें प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है।
- मुद्दे सार्वजनिक शिकायतों, चल रहे कार्यक्रमों और लंबित परियोजनाओं से लिए जाते हैं और प्रगति दिवस से 7 दिन पहले अपलोड किए जाते हैं।
- केंद्र सरकार के सचिवों और मुख्य सचिवों को चिह्नित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां और अद्यतन जानकारी तीन दिनों के भीतर देनी होगी।
- अगली प्रगति दिवस बैठक से पहले पीएमओ पुनः आंकड़ों की समीक्षा करता है।
- सिस्टम CPGRAMS, PMG और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से डेटा को एकीकृत करता है।
- डिजाइन इस प्रकार है कि जब प्रधानमंत्री मुद्दे की समीक्षा करें तो उनकी स्क्रीन पर मुद्दा तो हो ही, साथ ही उससे संबंधित नवीनतम अपडेट और दृश्य भी हों।

स्रोत:

- द हिंदू - ऑक्सफोर्ड अध्ययन ने परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रगति प्रणाली की सराहना की

न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक दुर्लभतम व्हेल की पहेली सुलझाने के लिए एकत्रित हुए

संदर्भ

न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर हाल ही में खोजी गई एक दुर्लभ स्पेड टूथ्ड व्हेल का विच्छेदन शुरू हो गया है। **यह स्पेड टूथ्ड व्हेल का अब तक का पहला विस्तृत विच्छेदन है।**

स्पेड टूथ्ड व्हेल के बारे में -

- **वैज्ञानिक नाम**: मेसोप्लोडोन ट्रैवर्सि
- **यह चोंचदार व्हेल की 21 प्रजातियों में से एक है।**
- **दुर्लभता**: वे रहस्यमय जानवर हैं।
    - **स्पेड टूथ्ड व्हेल को दुनिया की सबसे दुर्लभ व्हेल माना जाता है।**
    - कोई भी प्रत्यक्ष दृश्य रिकार्ड नहीं किया गया है।
    - इससे पहले, केवल छह अन्य स्पेड टूथ्ड व्हेल की पहचान की गई थी।
    - अध्ययन के लिए पिछले अवसर चूक गए, क्योंकि डीएनए परीक्षण किए जाने से पहले ही इन नमूनों को दफना दिया गया था।
- **प्राकृतिक वास**:
    - संभवतः दक्षिणी प्रशांत महासागर में निवास करती है।
    - इस क्षेत्र में गहरी समुद्री खाइयों के कारण इसके वास्तविक निवास क्षेत्र काफी हद तक अज्ञात हैं।
- **जैविक रहस्य**: इसके आहार, जनसंख्या आकार और विशिष्ट व्यवहार के बारे में विवरण अच्छी तरह से समझा नहीं गया है।
- **आईयूसीएन स्थिति**: डेटा अपर्याप्त (DD)
- **कई माओरी समुदाय व्हेल को अपना पूर्वज मानते हैं।**

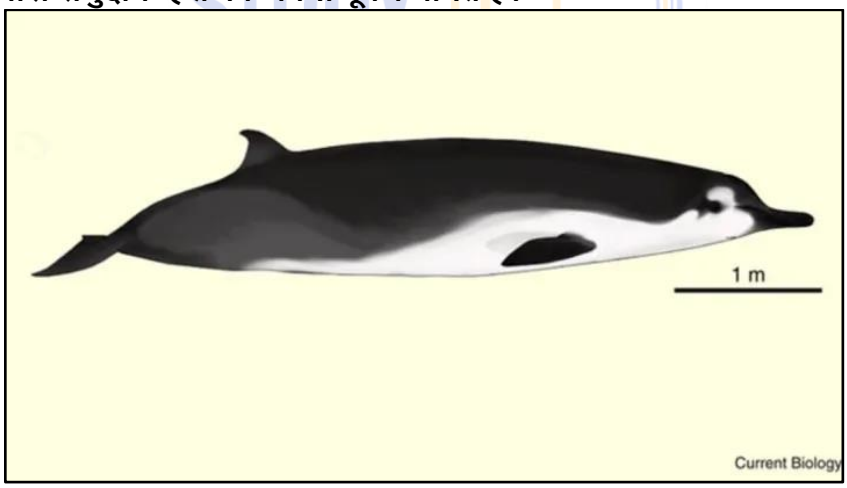

स्रोत:

- [हिंदू - सबसे दुर्लभ व्हेल]

पनडुब्बियों में एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली

संदर्भ

लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और उसके स्पेनिश साझेदार नवांतिया ने S-80 श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में हाइड्रोजन-बेस्ड एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) के एकीकरण का प्रदर्शन किया है।

एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन(AIP) के बारे में -

- **यह एक ऐसी तकनीक है जो गैर-परमाणु पनडुब्बियों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बिना संचालित करने की अनुमति देती है|**
- **कार्य प्रणाली:** AIP सिस्टम ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग फिर बिजली बनाने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन उत्पादन के लिए दो मुख्य विधियाँ हैं:
    - **हाई टेस्ट पेरोक्साइड (HTP):** एक सांद्रित हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मैंगनीज की सहायता से ऑक्सीजन और पानी में विघटित हो जाता है
    - **संग्रहित तरल ऑक्सीजन (LOX):** क्रायोजेनिक टैंकों में संग्रहित ऑक्सीजन
- **लाभ:**
    - **पानी के अंदर की सहनशक्ति में वृद्धि:** AIP पनडुब्बियों को पारंपरिक रूप से संचालित पनडुब्बियों की तुलना में अधिक समय तक पानी के अंदर रहने की अनुमति देता है।
    - **डीजल-इलेक्ट्रिक प्रणोदन को बढ़ाना या प्रतिस्थापित करना:** AIP का उपयोग पनडुब्बी के डीजल-इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के अतिरिक्त या इसके स्थान पर किया जा सकता है।
    - **मौजूदा पनडुब्बियों में स्थापित किया जा सकता है:** AIP प्रणाली को मौजूदा पनडुब्बियों में एक नया पतवार खंड डालकर जोड़ा जा सकता है।
    - **बढ़ी हुई गोपनीयता**: चूंकि AIP पनडुब्बियों को बार-बार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उनका पता लगाना कम संभव होता है, जिससे रणनीतिक लाभ मिलता है।
- **सीमाएँ:**
    - **जटिलता और लागत:** पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक प्रणालियों की तुलना में AIP प्रणालियां अधिक जटिल और रखरखाव में महंगी हो सकती हैं।
    - **सीमित विद्युत उत्पादन:** कुछ AIP प्रौद्योगिकियां उच्च गति वाले युद्धाभ्यास या व्यापक युद्ध संचालन के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान नहीं कर सकती हैं।
    - **ईंधन आपूर्ति:** ईंधन कोशिकाओं जैसी प्रणालियों को हाइड्रोजन की विश्वसनीय आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - नौसेना के लिए महत्वपूर्ण सौदे की दौड़ में]

समाचार संक्षेप में

भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास - हरिमाऊ शक्ति

- **हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग कैंप में शुरू हुआ।**
- यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और मलेशिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
    - **2023 में इसका आयोजन भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में किया गया।**
- **उद्देश्य:** जंगल क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना।

स्रोत:

- पीआईबी - भारत-मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास

फेंटानिल(Fentanyl)

- हाल के मामलों में यह पता चला है कि मेक्सिको में ड्रग माफिया **फेंटेनाइल** बनाने के लिए कॉलेजों से रसायन विज्ञान के छात्रों की भर्ती करते हैं।
- **यह एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपिओइड है, जिसका उपयोग अक्सर सर्जरी के बाद या कैंसर रोगियों के लिए गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है।**
- **यह मॉर्फिन से 50 से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है तथा हेरोइन से लगभग 50 गुना अधिक शक्तिशाली है।**
- दुरुपयोग और लत की उच्च संभावना के कारण इसे **अनुसूची II नियंत्रित पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - ड्रग कार्टेल ने फेंटेनाइल बनाने के लिए रसायन विज्ञान के छात्रों की भर्ती की

संपादकीय सारांश

दक्षिण एशियाई देशों में धार्मिक राष्ट्रवाद का उदय

संदर्भ

- दक्षिण एशियाई देशों में धार्मिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप उनके समाजों में लोकतंत्र और शालीनता दोनों का विनाश हुआ है।
- 1947 के समझौते पर पुनः विचार करने की भावना बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि लक्षित संघर्षों को बढ़ाना तथा विभाजन के तर्क को मजबूत करना है।

बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य

- **शेख हसीना का शासन:** शेख हसीना ने लोकप्रिय वैधता खो दी है, जिससे उनके उत्तराधिकारी शासन की प्रकृति के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
    - इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या इससे समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का चक्र जारी रहेगा।
- **इस्लामवाद का उदय:** बांग्लादेश में इस्लामी समूहों की दृश्यता और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है।
    - सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग अक्सर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को अतिरंजित या राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर देता है।
- **हालिया हिंसा:** अगस्त 2024 में हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद, एक सप्ताह के भीतर 52 जिलों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर 200 से अधिक हमले हुए।
    - इससे राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान इन समुदायों की भेद्यता उजागर होती है।

भारत की वर्तमान स्थिति

- **बहुसंख्यकवाद और अधिनायकवाद:** वर्तमान में, भारत में बहुसंख्यकवादी नीतियों की ओर बदलाव देखा गया है जो अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डाल रही हैं।
    - इसमें मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग, घृणास्पद भाषण और राज्य द्वारा अनुमोदित हिंसा की बढ़ती घटनाएं शामिल हैं।
- **अयोध्या मंदिर उद्घाटन:** जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने सांप्रदायिक तनाव को फिर से भड़का दिया।
    - इस कृत्य को सांप्रदायिक पहचानों के समाधान के बजाय हिंदू राष्ट्रवादी आकांक्षाओं की परिणति माना गया।
- **धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट:** रिपोर्टों से पता चलता है कि 2024 में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति काफी खराब हो गई है, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं और गैर-हिंदू समुदायों को लक्षित करके भेदभावपूर्ण कानूनों को लागू किया जा रहा है।

पाकिस्तान का धार्मिक पहचान से संघर्ष

- **राज्य प्रायोजित धार्मिक राष्ट्रवाद**: पाकिस्तान राज्य की पहचान को धर्म के साथ जोड़ने के खतरों का उदाहरण है।
    - सभी अल्पसंख्यकों को खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें अहमदिया और शिया भी शामिल हैं, जो अक्सर सांप्रदायिक विभाजन के कारण हिंसा का निशाना बनते हैं।
- **जारी संकट**: लोकप्रिय भावना और सैन्य वैधता के बीच विसंगति के कारण पाकिस्तान का वैचारिक आधार तनाव में है।

  - इसके परिणामस्वरूप एक सतत संकट उत्पन्न हो गया है, जहां अल्पसंख्यक लगातार खतरे में हैं, क्योंकि राज्य अपने धार्मिक चरित्र को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।
- **हालिया हिंसा:** कुर्रम में हुए नरसंहार जैसी घटनाएं गहरे सांप्रदायिक तनाव को दर्शाती हैं और राज्य प्रायोजित धार्मिक राष्ट्रवाद के बीच अल्पसंख्यक समुदायों की मौजूदा भेद्यता को उजागर करती हैं।

निष्कर्ष

भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आपस में जुड़ी हुई नियति धार्मिक राष्ट्रवाद द्वारा प्रेरित अधिनायकवाद की ओर एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है। प्रत्येक देश अद्वितीय चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन समान कमजोरियों को साझा करता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए खतरा हैं। बहुसंख्यक विचारधाराओं का उदय न केवल आंतरिक संघर्षों को बढ़ाता है, बल्कि क्षेत्रीय संबंधों को भी जटिल बनाता है, जो यह सुझाव देता है कि समावेशिता और सहिष्णुता की दिशा में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना, दक्षिण एशिया बढ़ती अस्थिरता और हिंसा की राह पर आगे बढ़ सकता है।

स्रोत: **इंडियन एक्सप्रेस: पड़ोस संकट में है**

लंबित मामलों की अधिक संख्या के पीछे कारण

संदर्भ

भारतीय अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जिसके लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं।

लंबित मामलों की अधिक संख्या के पीछे कारण -

- **बार-बार स्थगन**: जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में प्रतिदिन सूचीबद्ध 90 मामलों में से लगभग आधे मामले स्थगित हो जाते हैं।
    - स्थगन के कारणों में निम्नलिखित आवश्यकताएँ शामिल हैं:
        - साक्ष्य एकत्र करना।
        - कानूनी अनुसन्धान।
        - प्रस्ताव दायर करना या फैसले को प्रभावित करने वाली बाह्य घटनाओं की प्रतीक्षा करना।
- **जटिल न्यायिक प्रक्रियाएं**: किसी मामले के कई चरण - आरोप पत्र दाखिल करना, आरोप तय करना, साक्ष्य प्रस्तुत करना, बहस और निर्णय - प्रत्येक चरण संरचनात्मक अकुशलता के कारण देरी का कारण बनता है।
    - **विलंब के उदाहरण**:
        - जांच अधिकारियों द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने में लंबा समय लगना।
        - पुलिस और सरकारी अभियोजकों द्वारा अकुशल समन प्रक्रिया।
        - केस रिकार्ड (रोज़नामा) में भ्रामक या पुरानी जानकारी।
        - केस फाइलों का गुम हो जाना, विशेषकर लम्बे समय से लंबित मामलों में।
- **प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग**: कई जिला न्यायालयों में पर्याप्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का अभाव है, जिससे आधुनिकीकरण में बाधा आ रही है।
- **अपर्याप्त कानूनी सहायता**: गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विचाराधीन कैदियों में मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता का अभाव है और उन्हें कानूनी सहायता की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रस्तावित समाधानों में चुनौतियाँ

- **न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मीट्रिक्स**: न्यायाधीशों को उच्च-निपटान मामलों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने से संवेदनशील या जटिल मामलों को दरकिनार किया जा सकता है।
    - जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से अपीलों में वृद्धि हो सकती है, जिससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ सकता है।
- **प्रशासनिक कार्यों के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त करना**: सेवानिवृत्त अधिकारियों में न्यायिक प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशीलता और जानकारी का अभाव हो सकता है, जिससे अकुशलता और अनुचितता उत्पन्न हो सकती है।
- **वीडियो कार्यवाही**: वर्चुअल सुनवाई के दौरान जेल अधिकारियों द्वारा आरोपियों को घेरकर धमकाया गया।
    - अभियुक्त की शारीरिक स्थिति या स्वास्थ्य का आकलन करने में असमर्थता।
    - अदालत में पेशी के दौरान परिवार और वकीलों से गोपनीय रूप से मिलने जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों का हनन।

मुख्य अनुशंसाएँ

- **न्यायिक प्रक्रियाओं में संरचनात्मक सुधार**: साक्ष्य संग्रहण, सम्मन जारी करने और दस्तावेज़ीकरण सटीकता जैसे महत्वपूर्ण चरणों में देरी की पहचान करना और उसका समाधान करना।
    - मामले के चरणों की सटीक ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए केस रिकॉर्ड (रोजनामा) में सुधार करें।

- **कानूनी सहायता तक पहुंच में सुधार**: निःशुल्क कानूनी सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करें।
    - वंचित विचाराधीन कैदियों के बीच कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाएं।
- **स्थगन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण**: स्थगन पर कठोर सीमाएं लगाने से बचें; मामले-विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर औचित्य का मूल्यांकन करें।
- **प्रौद्योगिकी का जिम्मेदार उपयोग**: विचाराधीन कैदियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को बढ़ाना।
    - कार्यवाही के दौरान धमकी के मुद्दों को संबोधित करें और गोपनीयता सुनिश्चित करें।
- **निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई पर ध्यान केन्द्रित करना**: यह सुनिश्चित करना कि मामले के त्वरित निपटारे के प्रयास में निष्पक्षता से समझौता न हो।
    - प्रदर्शन मीट्रिक्स या बाहरी प्रतिनिधिमंडल जैसे त्वरित समाधानों की तुलना में प्रणालीगत समाधानों को प्राथमिकता दें।
- **संसाधन आवंटन**: प्रणालीगत बाधाओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी आधुनिकीकरण और मानव संसाधनों में निवेश बढ़ाएं।

स्रोत: **इंडियन एक्सप्रेस: निष्पक्षता, सिर्फ गति नहीं**

कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी

संदर्भ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी रिपोर्ट "भारत में जेल: जेल नियमावली की मैपिंग और सुधार और भीड़ कम करने के उपाय", भारतीय जेलों में भीड़भाड़ पर प्रकाश डालती है और कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सहित भीड़भाड़ कम करने के उपायों का प्रस्ताव करती है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा तैयार की गई है।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के लाभ

- **लागत-प्रभावशीलता:** इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के कार्यान्वयन से कारावास से जुड़ी लागत में काफी कमी आ सकती है।
    - **उदाहरण के लिए,** ओडिशा में एक विचाराधीन कैदी के रखरखाव पर सालाना लगभग 1 लाख रुपये का खर्च आता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर की लागत 10,000 से 15,000 रुपये के बीच होने का अनुमान है। यह राज्य के लिए काफी बचत दर्शाता है।
- **भीड़भाड़ में कमी:** दिसंबर 2022 तक भारतीय जेलों में कैदियों की संख्या 131.4% थी, जिसमें 436,266 की क्षमता की तुलना में 573,220 कैदी थे (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार)।
    - इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग से कम और मध्यम जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों को निगरानी के दौरान समुदाय में रहने की अनुमति मिल सकती है, जिससे जेलों में भीड़भाड़ कम हो सकती है।
- **बेहतर पुनर्वास**: विचाराधीन कैदियों को उनके समुदायों में रहने की अनुमति देकर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग निरंतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों की सुविधा प्रदान करती है।
    - यह समर्थन पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने और समाज में पुनः एकीकरण में सहायता के लिए महत्वपूर्ण है।
- **उन्नत निगरानी:** इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग रिलीज की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय साधन प्रदान करती है।
    - इससे फरार होने या दोबारा अपराध करने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है, साथ ही लगातार शारीरिक कारावास की आवश्यकता के बिना निगरानी भी बनी रहेगी।
- **प्रशासनिक दक्षता:** इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर्स के उपयोग से जमानत या पैरोल पर रिहा व्यक्तियों की निगरानी के लिए आवश्यक संसाधनों को न्यूनतम करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर प्रशासनिक बोझ को कम किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग से जुड़ी चुनौतियाँ

- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं**: इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के उपयोग से महत्वपूर्ण गोपनीयता संबंधी मुद्दे उठते हैं।
    - निरंतर निगरानी से व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, जैसा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से उजागर हुआ है, जिसमें कुछ ट्रैकिंग स्थितियों को गोपनीयता का उल्लंघन माना गया है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2023): अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के उल्लंघन का हवाला देते हुए, गूगल मैप्स पर स्थान ट्रैकिंग की आवश्यकता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत शर्त को रद्द कर दिया।

- **तकनीकी विश्वसनीयता:** इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग प्रणालियों की प्रभावशीलता प्रौद्योगिकी की विश्वसनीयता पर निर्भर है।
    - डिवाइस की खराबी या सिग्नल की हानि जैसी समस्याएं निगरानी प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं और अनुपालन प्रवर्तन में संभावित विफलता का कारण बन सकती हैं।
- **मानवाधिकार जोखिम:** यह खतरा है कि इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का दुरुपयोग या अत्यधिक उपयोग किया जा सकता है, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
- **कलंक**: एंकल मॉनिटर जैसे दृश्यमान उपकरण सामाजिक अलगाव और शर्मिंदगी का कारण बनते हैं।
    - भारत में जेलें रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इन उपकरणों से मनोवैज्ञानिक संकट पैदा होता है, जिसमें चिंता और अवसाद भी शामिल है।
- **लागत निहितार्थ**: हालांकि प्रारंभिक लागत कारावास की तुलना में कम हो सकती है, लेकिन एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है।
- **हाशिए पर पड़े समूहों पर प्रभाव**: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की पृष्ठभूमि वाले लोग जेल में बंद कैदियों में अधिक संख्या में हैं तथा व्यवस्थागत असमानताएं चिंता का विषय हैं।
- **ई-कारावास की संभावना**: आलोचकों का तर्क है कि इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से कारावास की अवधि बढ़ सकती है समुदाय में "ई-कारावास" के समान सतत निगरानी का माहौल तैयार हो रहा है।
    - यह चिंता विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि निगरानी में रखे जाने वाले लोगों में अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व अधिक होता है।

अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की कहानी

- संयुक्त राज्य अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (ईएम) जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यक्तियों के प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में उभरी है।
- प्रारंभ में इसे कारावास प्रणाली पर बोझ कम करने के लिए एक अभिनव समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तथा बाद में यह परीक्षण-पूर्व बंदियों, परिवीक्षा पर व्यक्तियों और पैरोल पर रिहा लोगों के लिए एक व्यापक अभ्यास बन गया है।

क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं?

- **ई-कार्सरेशन**: दंडात्मक नियंत्रण को जेलों से परे विस्तारित करता है।
- **असमानता**: हाशिए पर पड़े समुदायों पर असमान प्रभाव, कारावास संबंधी पूर्वाग्रहों को प्रतिबिम्बित करना।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं**: घर की तलाशी और आकस्मिक दवा परीक्षण जैसे आक्रामक उपाय।
- **कलंक**: दृश्यमान उपकरण सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं।
- **वित्तीय बोझ**: व्यक्ति को प्रायः निगरानी लागत वहन करनी पड़ती है, जिससे आर्थिक तनाव पैदा होता है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

- **सीमित अनुप्रयोग**: गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए सुझाया गया, जहां अभियुक्त को पहले से दोषसिद्धि हो चुकी हो।
    - यह 268वीं विधि आयोग रिपोर्ट के अनुरूप है, जो उचित विनियमन के लिए विधायी संशोधनों की वकालत करती है।
- **सुरक्षा उपाय और सुरक्षा-व्यवस्था**: गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करें और कैदियों से सूचित सहमति प्राप्त करें।
    - उपकरणों से असमानता या कलंक को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।
- **लागतों के लिए सरकार की जिम्मेदारी**: आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को दंडित होने से बचाने के लिए निगरानी किए गए व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ डालने से बचें।

- **संतुलित उपयोग**: ट्रैकिंग को न्यायिक प्रक्रियाओं का पूरक होना चाहिए, न कि उन्हें प्रतिस्थापित या कमजोर करना चाहिए।

स्रोत: **इंडियन एक्सप्रेस: कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी**

विस्तृत कवरेज

दिव्यांग व्यक्तियों का समावेशन

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस (आईडीपीडी) प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस (आईडीपीडी) के बारे में

- **उत्पत्ति**: इस दिवस की घोषणा **संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में (संकल्प 47/3)** की गई थी।
    - यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के दशकों के प्रयासों पर आधारित है।
- **विषय**:
    - **2023:** "समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान: एक सुलभ और न्यायसंगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका।"
    - **2024:** "समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। "
- **महत्व**:
    - ऐसे समावेशी समाजों को बढ़ावा देना जो विविधता का सम्मान करते हों और समान अवसर सुनिश्चित करते हों।
    - यह 2006 में अपनाए गए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) को लागू करने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है।
    - भौतिक वातावरण, परिवहन और सूचना प्रणालियों में सुगम्यता के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- **वैश्विक संदर्भ**:
    - **विश्व की लगभग 15% जनसंख्या, या 1 अरब से अधिक लोग, किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं।**
    - दिव्यांगों का समावेशन सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए अभिन्न अंग है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पीछे न छूटे।

नोट: भारत ने 1 अक्टूबर, 2007 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया।

दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- **भेदभाव और असमानता:** दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा उन्हें नौकरी पर रखने में अनिच्छा शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं।
    - यह भेदभाव उनके सामाजिक और आर्थिक एकीकरण में बाधा डालता है, तथा असमानता को बढ़ावा देता है।
- **सामाजिक स्थिति की हानि:** शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसरों के परिणामस्वरूप दिव्यांगजनों की सामाजिक स्थिति में हानि हो सकती है।
    - वित्तीय स्वतंत्रता की कमी और संसाधनों, विशेषकर स्वास्थ्य एवं सहायता नेटवर्क तक अपर्याप्त पहुंच, इस समस्या को और बढ़ा देती है।
- **अमानवीय व्यवहार:** दिव्यांगजनों, विशेषकर मानसिक बीमारी या मानसिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार और अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है।
    - मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक और गलतफहमी के कारण समाज में उन्हें हाशिए पर धकेला जाता है।

- **सुगम्यता**: स्कूल, सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे और सेवाएं **दिव्यांग** व्यक्तियों के लिए दुर्गम बनी हुई हैं।
    - **उदाहरण के लिए**, भारत में केवल 3% इमारतें पूरी तरह से सुलभ पाई गईं (दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार)।
- **डिजिटल डिवाइड**: कई दिव्यांगजन डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों की पहुंच से बाहर होने के कारण पीछे रह जाते हैं।
    - **उदाहरण के लिए**, 98% वेबसाइटें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहती हैं (2020 वेब एक्सेसिबिलिटी वार्षिक रिपोर्ट)।
- **शिक्षा तक पहुंच:** दृष्टिबाधित छात्रों के पास उपयुक्त शैक्षिक सामग्री का अभाव हो सकता है, जबकि सीखने संबंधी दिव्यांगता वाले बच्चों को स्कूलों से बहिष्कार और अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है।
    - विशेष विद्यालयों की कमी तथा विशिष्ट दिव्यांगताओं के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शिक्षा के अवसरों में और बाधा डालती है।
    - **उदाहरण के लिए,** लगभग 45% दिव्यांग लोग निरक्षर हैं, और 3 से 35 वर्ष की आयु के केवल 62.9% दिव्यांग लोग ही कभी नियमित स्कूल गए हैं।
- **बेरोजगारी:** दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार की कम दरें मिलती हैं, जिसका मुख्य कारण रूढ़िवादिता, कलंक और समावेशी नियुक्ति प्रथाओं का अभाव है।
    - निजी क्षेत्र द्वारा दिव्यांगजनों को नौकरी पर रखने में अनिच्छा के कारण उनकी आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होने की क्षमता बाधित होती है।
    - **उदाहरण के लिए,** भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांग लोग (PwD) हैं, जिनमें से लगभग 1.3 करोड़ रोजगार योग्य हैं, लेकिन उनमें से केवल 34 लाख को ही रोजगार मिला है (बाजार खुफिया फर्म अनअर्थइनसाइट के अनुसार)।

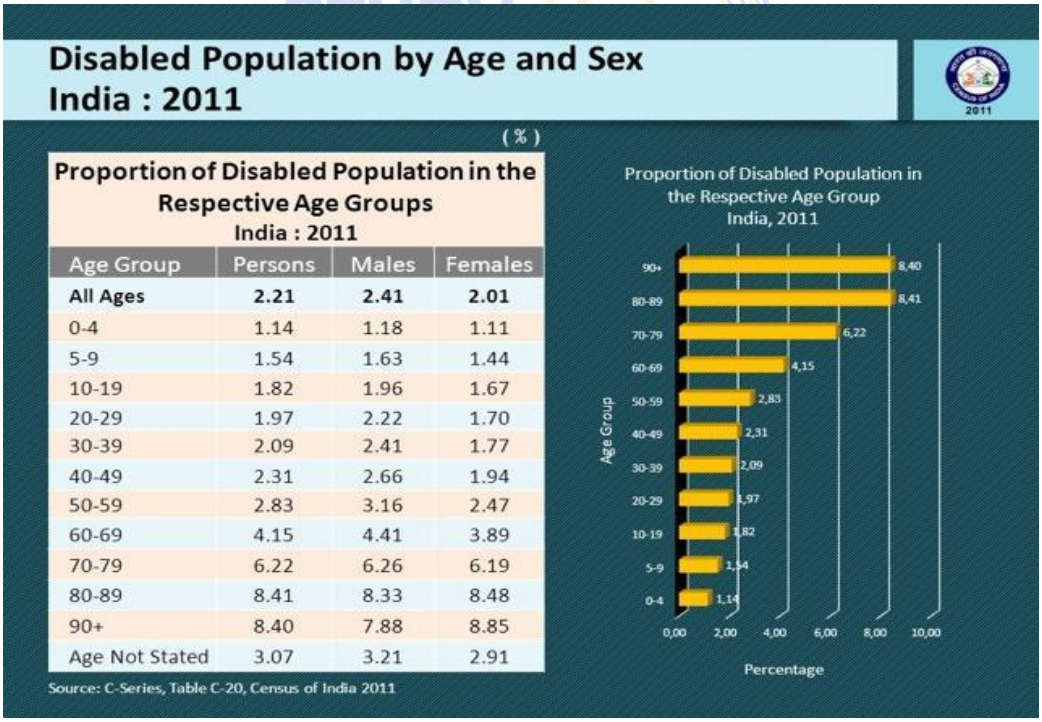

राष्ट्रीय विधान:
दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए भारत में चार प्रमुख राष्ट्रीय कानून हैं :

- **भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992:** इसने भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई, 1986 में स्थापित) को वैधानिक दर्जा प्रदान किया।
    - आरसीआई को दिया गया अधिदेश **दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और निगरानी करना** , पाठ्यक्रमों को मानकीकृत करना तथा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना है।
- **ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999:** ट्रस्ट निम्नलिखित तरीकों से **दिव्यांग** व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम बनाने का प्रयास करता है:
    - माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में उनकी सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना;
    - उनके अभिभावकों और ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं विकसित करना;
    - समाज में समान अवसरों को सुगम बनाना।
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016:** इसने दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लिया।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 का स्थान लिया।
    - इसे मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित सेवाएं प्रदान करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और पूर्ति करने के उद्देश्य से पारित किया गया है।

अन्य पहल

- **सुगम्य भारत अभियान:** 2015 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाना है।
    - इसका ध्यान मौजूदा बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने, सुगम्यता मानकों को बढ़ावा देने और दिव्यांगता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी):** यह पहल व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रमों और समावेशी रोजगार के अवसरों के सृजन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):** यह योजना आर्थिक रूप से वंचित दिव्यांगजनों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और सहायक उपकरणों सहित विभिन्न पुनर्वास सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **छात्रवृत्ति योजनाएं:** सरकार दिव्यांगजनों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करती है।
    - इनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल हैं।
- **सुलभ शिक्षा:** सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे **सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)** और **माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)** कार्यक्रम।
    - इन पहलों का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना तथा आवश्यक सहायता सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है।
- **सरकारी नौकरियों में आरक्षण:** दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण का अधिकार है।
    - यह आरक्षण कोटा दिव्यांगता के प्रकार और गंभीरता के आधार पर अलग-अलग होता है।
- **दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल (2023)**: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
    - दिव्यांगता समावेशन हेतु अग्रिम पंक्ति पोषण कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश।

- **इसके लिए निर्देश**:
  - दिव्यांगता की शीघ्र पहचान।
  - **पोषण ट्रैकर** के माध्यम से मील के पत्थरों की निगरानी।
  - **आशा कार्यकर्ताओं** के सहयोग से रेफरल।

- **हरियाणा का अनुभव**
  - **दिव्यांगता समावेशन प्रोटोकॉल**: हरियाणा का महिला एवं बाल विकास विभाग दिव्यांगता समावेशन के लिए **मिशन वात्सल्य और एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) का उपयोग करता है।**
    - समुदायों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए **दिव्यांग प्रोटोकॉल** और **'नन्हे फरिश्ते' पॉडकास्ट** शामिल हैं।
  - **विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) साझेदारी:** लैंगिक और दिव्यांगता समावेशन के मानदंडों में सुधार के लिए हरियाणा की **25,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं** के साथ 3-वर्षीय पहल।
    - आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन (4 जिले): पाया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निम्नलिखित में सहायक हैं:
      - **दिव्यांग** बच्चों की शीघ्र पहचान।
      - व्यक्तियों को चिकित्सा, शैक्षिक सहायता और सरकारी लाभों (जैसे, राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन) से जोड़ना।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD अधिनियम)

RPWD अधिनियम, 2016 को भारत के दिव्यांगता ढांचे को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियमित किया गया था , जिसे भारत ने 1 अक्टूबर, 2007 को अनुमोदित किया था। इसने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए अधिक समावेशी सामाजिक और मानवाधिकार दृष्टिकोण को शामिल करते हुए दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया।

RPWD अधिनियम की मुख्य विशेषताएं -

- **दिव्यांगता की विस्तृत परिभाषा**
  - इसमें बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, तथा एसिड अटैक सर्वाइवर्स सहित 21 दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है।
  - यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगता के प्रकारों में समय-समय पर संशोधन की अनुमति देता है।
- **अधिकार और हक**
  - शिक्षा (5%) और रोजगार (4%) में आरक्षण का प्रावधान है।
  - दिव्यांग बच्चों (6-18 वर्ष) के लिए निःशुल्क शिक्षा और भेदभाव के लिए दंड सुनिश्चित करता है।
- **संस्थागत ढांचा**
  - कानून के कार्यान्वयन की निगरानी और अधिकारों की रक्षा के लिए अर्ध-न्यायिक शक्तियों के साथ राज्य आयुक्तों के कार्यालय की स्थापना।
- **सुलभता और समावेशन**
  - सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और सूचना तक बाधा-मुक्त पहुंच को अनिवार्य बनाता है।
  - रोजगार, शिक्षा और सामाजिक परिवेश में समान अवसर प्रदान करता है।
- **कल्याणकारी उपाय**
  - दिव्यांगता पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल लाभ और कौशल विकास कार्यक्रम।
  - सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है।

RPWD अधिनियम से जुड़ी चुनौतियाँ

- **दिव्यांगता की कम रिपोर्टिंग**
  - 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का 2.21% है, जो कि एक बहुत ही कम आंकलन है।
  - 2019 डब्ल्यूएचओ संक्षिप्त दिव्यांगता मॉडल सर्वेक्षण का अनुमान है कि भारतीय वयस्कों में 16% गंभीर दिव्यांगता व्याप्त है।
- **अपर्याप्त राज्य कार्यान्वयन:** राज्य आयुक्तों की नियुक्ति में विलंब और स्वतंत्र नियुक्तियों का अभाव।
  - **उदाहरण**: 2021-22 तक केवल 8 राज्यों में गैर-सिविल-सेवक आयुक्त थे, जिससे इच्छित निष्पक्ष निगरानी को नुकसान पहुँच रहा था।
- **सीमित क्षमता और जागरूकता:** शिकायतों के समाधान और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षित कर्मियों और अपर्याप्त संसाधनों की कमी।
- **अपर्याप्त शिकायत निवारण**
  - राज्य आयुक्तों द्वारा सक्रिय कदम न उठाए जाने के कारण अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित अनेक शिकायतें अभी तक अनसुलझी हैं।
  - **उदाहरण**: कर्नाटक में मोबाइल अदालतों ने शिकायतों का कुशलतापूर्वक निपटारा किया, लेकिन इस पद्धति को व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया है।
- **अंतर्विषयक चुनौतियाँ**: दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों को अंतर्विषयक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके अधिकारों और सेवाओं तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है।

आगे की राह

- **राज्य आयोगों को सुदृढ़ बनाना:** दिव्यांगता अधिकार, मानव अधिकार और कानून में विशेषज्ञता वाले नागरिक समाज से योग्य पेशेवरों की नियुक्ति करना।
  - **उदाहरण**: कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों ने सक्षम आयुक्तों की नियुक्ति करके दिव्यांग व्यक्तियों के बीच सफलतापूर्वक आत्मविश्वास बढ़ाया है।
- **क्षमता निर्माण:** राज्य आयुक्तों और कर्मचारियों को अर्ध-न्यायिक कार्यों पर प्रशिक्षित करना।
  - शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए विधि विद्यालयों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना।
- **समावेशी शासन को बढ़ावा देना:** कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कर्नाटक की तरह जिला दिव्यांगता प्रबंधन समीक्षा (डीडीएमआर) जैसी प्रथाओं को अपनाना।
  - दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच के लिए मोबाइल अदालतें शुरू करना
- **डेटा संग्रहण में सुधार:** सटीक डेटा संग्रहण और सूचित नीति निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी, विस्तृत दिव्यांगता सर्वेक्षण आयोजित करना।
- **पहुंच क्षमता में वृद्धि**: बाधा-मुक्त बुनियादी ढांचे, किफायती सहायक उपकरणों और दिव्यांगता-समावेशी प्रौद्योगिकी में निवेश करना।
  - सुनिश्चित करें कि स्कूल और कार्यस्थल सर्वत्र सुलभ हों।
- **अंतरविभागीय नीतियां:** दिव्यांग महिलाओं को राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्त करें ताकि इस समूह के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
- **अनुसंधान एवं सहयोग:** सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग व्यक्तियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दों पर अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के साथ सहयोग करना।
  - **उदाहरण**:अधिकार-आधारित हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए दिव्यांगता-समावेशी देखभाल अर्थव्यवस्था पर अध्ययन।
- **आवश्यक हस्तक्षेप:** शीघ्र हस्तक्षेप और सुलभ चिकित्सा उपचार।
  - दिव्यांगता प्रोटोकॉल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण।

- **सामुदायिक सहभागिता:** शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से दिव्यांगता संबंधी कलंक का मुकाबला करना।
    - दिव्यांग बच्चों के लिए बुनियादी ढांचे और सेवाओं का समर्थन करने के लिए विकास कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग।

संबंधित मुख्य PYQs

यूपीएससी सीएसई 2022

प्रश्न: दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, दिव्यांगता के संबंध में सरकारी अधिकारियों और नागरिकों को गहन रूप से जागरूक किए बिना केवल एक कानूनी दस्तावेज बनकर रह गया है। टिप्पणी करें। (10 अंक)

यूपीएससी सीएसई 2017

प्रश्न: क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में लक्षित लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करता है? (10 अंक)

स्रोत:

- https://epaper.thehindu.com/ccidist-ws/th/th_delhi/issues/110064/OPS/GR9DLRGHK.1.png?cropFromPage=true
- https://epaper.thehindu.com/ccidist-ws/th/th_delhi/issues/110064/OPS/GR9DLRGHI.1.png?cropFromPage=true
- https://epaper.thehindu.com/ccidist-ws/th/th_delhi/issues/110064/OPS/GR9DLRGGU.1.png?cropFromPage=true
- https://epaper.thehindu.com/ccidist-ws/th/th_delhi/issues/110064/OPS/GR9DLRGGS.1.png?cropFromPage=true
- https://epaper. Indianexpress.com/c/76346046